

मूल-प्रति/दूसरी प्रति प्रदर्शित करने के लिये

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल

प्ररूप "ख"

{नियम 6(2), नियम 6(5) और 8(2) देखिए}

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र

1. समुचित प्राधिकारी प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1992 का 57) की धारा 19(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे नामित ~~आनुवंशिक परामर्श केंद्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केंद्र~~ को ~~आनुवंशिक परामर्श/प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं/प्रसवपूर्व निदान परीक्षण/अल्ट्रासोनोग्राफी~~ करने के प्रयोजनों के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन ...09.06.2020... को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर करता है।

2. यह रजिस्ट्रीकरण पूर्वोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए मंजूर किया गया है और उनका कोई उल्लंघन करने पर यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व निलम्बित या रद्द कर दिया जाएगा।

क. ~~आनुवंशिक परामर्श केंद्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केंद्र~~ का नाम और पता

चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,
भैताबेड़ी, निबर - बैरागढ़,
भोपाल - इन्दौर रोड़, भोपाल.

ख. आनुवंशिक क्लिनिक के लिए अनुमोदित प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं अनाक्रमक :-

(i) अल्ट्रासाउंड आक्रामक (ii) एम्नियोसेंटिसिस (iii) कोरिओनिक विल्ली बायोप्सी
(iv) फोइटोस्कोपी (v) फोइटल स्किन या आर्गन बायोप्सी (vi) कोर्डोसेंटिसिस
(vii) कोई अन्य

N.A.N - INVASIVE ISE, Echo, cardio

ग. आनुवंशिक प्रयोगशाला के लिए अनुमोदित प्रसवपूर्व निदान परीक्षण :-

(i) गुणसूत्री अध्ययन (ii) जैव रासायनिक अध्ययन (iii) आण्विक अध्ययन

घ. अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केंद्र के लिए (कोई अन्य प्रयोजन)

3. प्रयोग किए जा रहे उपस्कर का मॉडल और मैक

① Philips-HD7-S.No.: C152100567
② Philips-HD7-S.No.: 1551100406
③ Philips-HD3-S.No.: B17202300006740
④ SONOSCAPE-USH-S.No.: 16215021
⑤ SANOSCAPE-M-6-S.No.: 16235876

4. आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या

387 / 06 / 2015

5. पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र की विधिमता अवधि

(केवल नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र के लिए)

सक्षम प्राधिकारी पीसी एवं पीएनडीटी एवं कलेक्टर,

जिला-भोपाल द्वारा प्राधिकृत.

तारीख : 10.06.2015

Chief Medical & Health Officer

xx

xx

तक

सक्षम प्राधिकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला - भोपाल

इस प्रमाण - पत्र की दूसरी प्रति कारोबार के स्थान में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।